न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/10/2025	2025/210	15.10.2025	01.04.2026

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) राजगढ़, जिला अलवर राज०।

–प्रार्थी

वनाम

1. कैलाश सिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी माधोगढ़ तहसील राजगढ़ जिला अलवर (राज0)।

–अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू–आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः–
01–श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक –वकील प्रार्थी
02– अप्रार्थी अनुपस्थित।

–:निर्णयः–

तहसीलदार राजगढ़ ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम–14(4) भूमि आवंटन नियम, जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम माधोगढ़ तहसील राजगढ, जिला अलवर के हाल आराजी खसरा नं. 358/516 रकवा 0.10 है0 किस्म बारानी–2 भूमि का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलव किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। पर्याप्त अवसर के वावजूद अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ, अप्रार्थी का जवाब बंद किया जाता है।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि नत्थू पुत्र रामनिवास नाई निवासी अनावड़ा, तहसील राजगढ, जिला अलवर को साविक खसरा नंबर 279/258 रकवा 04 बीघा हाल खसरा न0 358/516 रकवा 0.10 है0 किस्म बारानी–2 भूमि वाके ग्राम माधोगढ, तहसील राजगढ़ जिला अलवर की भूमि कृषि हेतु आवंटन की गई थी।

ग्राम अनावड़ा के साविक खसरा नंबर 279/258 रकवा 04 बीघा भूमि दिनांक 02. 06.2002 को गैर सायल को आवंटित हुई थी। जो कि वर्तमान जमावंदी संवत् 2071–2072 के खाता संख्या 147 पर अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है।

ग्राम अनावडा के मिसल बन्दोवस्त संवत् 2046 से 2065 के अनुसार साविक खसरा नंबर 279/258 रकवा 04 बीघा के हाल खसरा नंबर 358/516 रकवा 0.10 है0 बना है।

आवंटी/अप्रार्थी द्वारा आवंटन से प्रथम दो वर्ष में संपूर्ण रकवे पर काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। मौके पर उक्त भूमि पर एनीकट की पाल बनी हुई है तथा कृषि कार्य नहीं हो रहा है।

अतः आवंटन आदेश निरस्त किया जाकर भू–राजस्व कम किया जाना फरमावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

पत्रावली का अवलोकन किया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज। यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार राजगढ़ द्वारा राजकीय अभिभाषक के माध्यम से राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी पक्ष का निवेदन है कि ग्राम अनावडा की भूमि खसरा नंबर 358/516 साबिक खसरा नंबर 279/258 रकबा 04 बीघा, जो कि किस्म बारानी–2 है, का आवंटन अप्रार्थी कैलाशसिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह राजपूत को दिनांक 02.06.2002 को कृषि प्रयोजनार्थ किया गया था। प्रार्थी के अनुसार आवंटी ने आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों और रिपोर्टों का बारीकी से अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का दुब्बी की मौका रिपोर्ट दिनांक 17.09.2025 के अनुसार, खसरा नंबर 358/516 मौके पर उक्त खसरा पर गैर खातेदार का कब्जा नहीं है एवं ग्राम पंचायत द्वारा उक्त खसरा पर एनीकट की पाल बनी हुई है। खाता संख्या 147, जमाबंदी संवत 2071–2075 पर अप्रार्थी का नाम 'गैर खातेदार' के रूप में दर्ज है, किंतु मौके पर काश्त का अभाव है। राजस्व रिकॉर्ड खसरा गिरदावरी संवत 2060–2063 व 2071 के अनुसार भूमि 'पड़त' दर्ज है। यह प्रमाणित करता है कि आवंटन के दशकों बाद भी भूमि पर कोई कृषि सुधार या काश्त नहीं की गई।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 के तहत आवंटित भूमि पर निर्धारित समय सीमा में कृषि कार्य प्रारंभ करना अनिवार्य शर्त है। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि अप्रार्थी/आवंटी ने आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया है। भूमि का उपयोग उस उद्देश्य (कृषि) के लिए नहीं किया गया जिसके लिए उसे आवंटित किया गया था। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार राजगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। ग्राम माधोगढ, तहसील राजगढ़ के खसरा नंबर 358/516 रकबा 0.10 है0 का अप्रार्थी कैलाश सिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह जाति राजपूत के पक्ष में दिनांक 02.06.2002 को किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर, (राज0)

स्था० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० प्रशासन (द्वितीय) राजस्थान सरकार